

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

क्रमांक:—सा10/2025

दिनांक:—यथा हस्ताक्षर

आदेश

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर जिले में शीतलहर एवं बढ़ती हुई ठण्ड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 07.01.2025 से 09.01.2025 तक जिले में संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शीतलहर एवं ठण्ड के प्रभाव से बचाव एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मध्येनजर विद्यालय में अवकाश घोषित किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः में श्रीनिधि बी.टी. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन आपदा प्राधिकरण धौलपुर, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 04 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धौलपुर जिले में संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त सरकारी एवं गैरसरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का दिनांक 07.01.2025 से 09.01.2025 तक का अवकाश घोषित करता हूँ। यह अवकाश केवल छात्र-छात्राओं के लिए लागू रहेगा विद्यालय स्टाफ यथावत कार्य करता रहेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्था प्रधान उक्त अवधि में विद्यालय/कक्षा संचालन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(श्री निधि बी.टी.)

जिला कलक्टर धौलपुर

क्रमांक:—सा10/2025

दिनांक:—यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपि:—

1. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक भारतपुर संभाग भरतपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर को प्रेषित कर लेख है कि जिले में संचालित सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में उक्त आदेशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावे।
4. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्य/प्रा0 धौलपुर।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारीजिला-धौलपुर।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी धौलपुर।
7. कार्यालय प्रति।

जिला कलक्टर
धौलपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sreenidhi B T
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.01.06 18:10:31 IST
Reason: Approved

